सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 18-10-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय एसओजी/सर्विलांस व थाना इटवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी हुई लाइसेंसी रिवाल्वर व अन्य सामान की बरामदगी कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

◆अभियुक्त के कब्जे से एक अदद लाइसेंसी शस्त्र रिवाल्वर नंम्बर P8959 शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 354 थाना इटवा 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, दो अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन (चोरी का) ₹700 नगद बरामद किया गया।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को ₹ 20,000/- पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दिनांक 09/10.08.2025 की रात्रि में राहुल कुमार पाठक पुत्र श्री हरी प्रकाश पाठक निवासी सहदेईया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के घर कुछ अज्ञात व्यक्तियो द्वारा घर के पीछे से छत के रास्ते घर मे घुस कर आलमारी बक्सा व अटैची का ताला तोड़कर एक अदद् लाइसेंसी शस्त्र रिवाल्वर नंम्बर P8959 शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 354 थाना इटवा 06 अदद कारतूस व 02 अदद मोबाइल और कुछ नगद रुपये चोरी कर लिये थे जिसके संबंध मे थाना इटवा पर दिनांक 10.08.2025 को मु0अ0सं0 146/2025 धारा 331(4),305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया, तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटना के अनावरण हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन पर व सुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा के कुशल नेतृत्व में जनपदीय एसओजी व थाना इटवा पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2025 धारा 331(4),305(A) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त शिवराम यादव पुत्र नामी यादव निवासी पिपरा पाण्डेय थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 17.10.2025 को करहिया पुल के पास रमवापुर जाने वाली सड़क के पास से समय करीब 19:40 बजे गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को मु0अ0सं0 146/2025 धारा 331(4),305(A),317(2)बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट मे आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को ₹ 20,000/- पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.शिवराम यादव पुत्र नामी यादव निवासी पिपरा पाण्डेय थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

01.एक अदद लाइसेंसी शस्त्र रिवाल्वर नंम्बर P8959 शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 354 थाना इटवा 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर।
02.दो अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन (चोरी का) व ₹700 नगद।

पुछ-ताछ का विवरण- पूछताछ किया गया तो पकड़े गये अभियुक्त शिवराम ने बताया कि साहब दिनांक 09.08.2025 की रात में ग्राम सहदेईया गांव के तरफ मैं व मेरा एक साथी चोरी करने के नियत से घुम रहे थे तभी देखा कि सामने रोड़ पर स्थित बने एक घर के पीछे ऊपर की सीढ़ी का दरवाजा खुला है हम दोनों उस घर के पास जाकर देखे घर के लोग घर के बाहर सो रहे थे फिर हम दोनों ने दरवाजे पर हाथ से धक्का दिया तो दरवाजा खुला मिला फिर हम दोनों घर के अन्दर चुपके से घुस गये और घर में रखे कीमती सामानों की तलाश करने लगे कि डेहरी के ऊपर रखा एक सूटकेश मिला जिसको उठा लिये वहीं कमरे की खिड़की के पास बच्चे सो रहे थे उसी खिड़की पर दो मोबाईल फोन व एक टैबलेट रखा था जिसको हम दोनों ने उठा लिये। सभी सामान लेकर हम लोग खिड़की से घर के बाहर 50 -60 कदम दूर बाग में अन्दर ले जाकर सूटकेस को खोलकर देखा तो सूटकेश में कुछ कागजात व यह रिवाल्वर मिला जिसको मैं अपने पैण्ट में खोस लिया तथा कागज, सूटकेश को वहीं फेंक दिया तथा जाते समय रास्ते में ही कहीं खेत में टैबलेट खिसक कर गिर गया जिसे हम लोग तलाशे लेकिन नहीं मिला फिर हम लोग पकडण्डी व सिवान के रास्ते अपने गांव चले गये तथा एक मोबाईल मै और एक मोबाईल मेरा साथी ले लिया तथा उक्त रिवाल्वर मै अपने पास रख लिया जिसको आज मै लेकर बाहर भागने के फिराक मे था कि आप लोगो द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.नि0 बृजभान यादव प्रभारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
2.उ0नि0 जीवन त्रिपाठी एसओजी प्रभारी मयफोर्स जनपद सिद्धार्थनगर।
3.उ0नि0 हरेन्द्र चौहान सर्विलांस प्रभारी जनपद सिद्धार्थनगर।
4.मु0आ0 राजीव शुक्ला, मनोज राय, दिलीप कुमार, आशुतोषधर दूबे, जनार्दन आरक्षी वीरेंद्र तिवारी, रोहित चौहान, सत्येन्द्र यादव, छविराज यादव, एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
5.का0संजीव कुमार, राकेश मौर्या, नरेन्द्र देव चौहान थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 18-10-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील डुमरियागंज पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनसुनवाई किया गया।

◆समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक **18-10-2025** को जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस) का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, उपजिलाधिकारी डुमरियागंज व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज उपस्थित रहें। तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं उसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। उक्त तहसील दिवस में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण व तहसील डुमरियागंज क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक /थाना प्रभारी मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆विशेष अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 14 वारंटियो को गिरफ्तार किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में दिनांक 17/18.10.2025 को वारंटी गिरफ्तारी के विशेष अभियान के तहत जनपद के थानो द्वारा कुल 14 वारंटियो को गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्नलिखित है-

गिरफ्तार वारंटीगण का विवरण-

01-कृष्ण मुरारी पाण्डेय उर्फ कल्लू पुत्र झिनकन उर्फ अशोक पाण्डेय निवासी बरगदवा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

02-अवधेश कुमार उर्फ लल्लू पाण्डेय पुत्र झिनकन उर्फ अशोक पाण्डेय निवासी बरगदवा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

03-निबर पुत्र झिनकन उर्फ अशोक पाण्डेय निवासी बरगदवा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

04-तुलसी राम विश्वकर्मा पुत्र रामदूलारे निवासी भावपुर उर्फ गुलरी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

05-प्रमोद पुत्र मिठाईलाल निवासी सिहोंरवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

06-प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल निवासी खलीलपुर टोला गोपालपुर थाना मोहाना सिद्धार्थनगर।

07-राजकुमार पुत्र रामलखन निवासी वर्डपुर नं0 09 टोला वर्डपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

08-तौफीक पुत्र रुआब अली निवासी बरगदवा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

09-रामकिशुन यादव पुत्र चीनक यादव निवासी जगदीशपुर ग्रान्ट टोला सोतियाडाढी थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

10-अभियुक्त उमाशंकर पुत्र शशिनाथ साकिन धनगढवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

11-अम्बिका साहनी पुत्र लवकुश साहनी साकिन केवटलिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

12-महेन्द्र पाण्डेय पुत्र गौरीशंकर पाण्डेय साकिन चौरी महुलानी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

13-रामू पुत्र चिन्नीलाल निवासी सेखुई गोवर्धन थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

14- तिलक राम पुत्र चिन्नीलाल निवासी सेखुई गोवर्धन थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत थाना शिवनगर डिड़ई पुलिस द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, बहु/बेटी सम्मेलन व शक्ति दीदी अभियान के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम मस्जिदिया मे चौपाल लगाकर महिलाओं, बालिकाओं/छात्राओं को जागरुक किया गया।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.10.2025 को मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिड़ई के नेतृत्व मे महिला मिशन शक्ति टीम द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, बहु/बेटी सम्मेलन व शक्ति दीदी अभियान के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम मस्जिदिया मे चौपाल लगाकर महिलाओं, बालिकाओं/छात्राओं को जागरुक किया गया तथा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर एवं नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक 18/10/2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा ग्राम गंगाराम महादेवा में जाकर चलाया गया जागरुकता अभियान व गुड व बैड टच के बारे मे बच्चो को दी गयी जानकारी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18/10/2025 को राजेश कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया के नेतृत्व मे थाना क्षेत्र के ग्राम गंगाराम महादेवा में जाकर महिलाओ, बालिकाओं/छात्राओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर एवं नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति टीम का विवरण-
01-उ0नि0 मोतीलाल थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
02-का0 सुनील कुमार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
03-म0का0 कंचन यादव, सीमा यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
04-महिला हो0गा0 सुषमा पाण्डेय, पूजा मिश्रा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 18/10/2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा ग्राम गोनरा में चौपाल लगाकर चलाया गया बहु सम्मेलन जागरुकता अभियान व गुड व बैड टच के बारे मे बच्चो को दी गयी जानकारी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व शुबेंदु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18/10/2025 को बृजेश सिंह थानाध्यक्ष थाना मिश्रौलिया के नेतृत्व में थाना क्षेत्र ग्राम गोनरा की महिलाओं को जो थाने तक नहीं आ सकती हैं बहू बेटी सम्मेलन लगाकर जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन *1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन,108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गयी।

मिशन शक्ति टीम-
01.उ0नि0 रामदरश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
02.मु0आ0 तेज प्रकाश मौर्या थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
03.म0आ0 जूही दूबे थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर दिनाँक 18/10/2025

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिला मिशन केंद्र थाना ख़ेसरहा की टीम द्वारा ग्राम छपवा में बहु-बेटी सम्मेलन कर महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, साइबर अपराध सुरक्षा व सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे बताया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी सुजीत कुमार राय तथा थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र थाना खेसरहा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.10.2025 को थाना खेसरहा की मिशन शक्ति केंद्र टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम छपवा में पहुंच कर मिशन शक्ति कार्यक्रम में विशेष अभियान बेटी-बहु सम्मेलन किया गया इस दौरान बहु बेटियों को साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक किया गया तथा महिला सशक्तिकरण हेतु उपयोगी हेल्पलाइन नंबर 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108-एंबुलेंस सेवा, 1930-साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098-चाइल्ड हेल्पलाइ,102- स्वास्थ्य सेवा के बारे मे बताते हुए महिला से सम्बन्धित कानूनो तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये कल्याणकारी योजनाओं व विधियों के बारे में जागरुक किया गया।

महिला मिशन थाना खेसरहा टीम

1•उ0नि0 चन्द्रिका प्रसाद मौर्य, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
2•हे0का0 सत्येन्द्र कुमार सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3•आरक्षी अरुण कुमार पाण्डेय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
4•महिला आरक्षी संगीता देवी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
5•महिला आरक्षी अंजली यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त/वारन्टी के गांव में मुनादी कराते हुये वारन्टी के घऱ 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में दुर्गा प्रसाद प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर से वाद संख्या- 407/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना सिद्धार्थनगर में अभियुक्त आरिफ खान उर्फ गब्बर पुत्र शोएब उर्फ बेदी निवासी नौगढडीहवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध निर्गत 82 सीआरपीसी की आदेशिका की तामिला आज दिनांक 18.10.2025 को अभियुक्त/वारन्टी के गांव में डुग्गी मुनादी कराते हुये गांव/मोहल्ले/चौराहों के दृष्यमान स्थलों पर नोटिस को चस्पा करते हुये नियमानुसार तामीला की गयी।

पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 अशोक कुमार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

2.मु0आ0 शमशाद अहमद थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

3.का0 निशान्त कुमार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 18.10.2025 को वाद सं0 32/2017 मु0अ0सं0 2084/2017 धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहाना में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मो0 रफी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 20(b) ii(c) एनडीपीएस एक्ट में सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मुन्नी लाल निवासी भगवानपुर टोला बसालतपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पूरन यादव थाना मोहाना का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट से संबन्धित एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के तहत आज दिनांक 18.10.2025 को वाद संख्या-800042/2006, एनसीआर सं0-114/1991 धारा 323,504 भादवी0 में जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश सी0जे0एम0 जनपद सिद्धार्थनगर श्री अनुभव कटियार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त तुलसीराम विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी मौजा भावपुर उर्फ गुलरी थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बितायी गयी अवधि व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, श्री जयहिन्द त्रिपाठी एसपीओ, मु0 आरक्षी इमामुद्दीन न्यायालय पैरोकार थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट से संबन्धित 03 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के तहत आज दिनांक 18.10.2025 को वाद संख्या-800614/1995, एनसीआर सं0-23/1995 धारा 323,504 भादवी0 में जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश सी0जे0एम0 जनपद सिद्धार्थनगर श्री अनुभव कटियार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01-कृष्ण मुरारी उर्फ कल्लू, 02-अवधेश उर्फ लल्लू पाण्डेय ,03-नीबर पुत्रगण झिनकन उर्फ अशोक कुमार पाण्डेय निवासीगण बरगदवा थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, श्री जयहिन्द त्रिपाठी एसपीओ, मु0 आरक्षी इमामुद्दीन न्यायालय पैरोकार थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 18-10-2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆जनपदीय पुलिस द्वारा त्यौहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में चेकिंग व पैदल गश्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 18.10.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग व पैदल गश्त किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।